न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक /कोर्ट/2025/855 दिनांक 26/9/25

श्री प्रियांशु खण्डेलवाल
निवासी हैड पोस्ट ऑफिस के पीछे
आदर्श नगर, भरतपुर
मो न0 9718677086

विषयः—अपील संख्या 53/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री प्रियांशु खण्डेलवाल बनाम लो. सू.अधिकारी तहसीलदार भरतपुर** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 19.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति एवं लोक सू0अ0 से प्राप्त पत्रादि की प्रति

आज्ञा से,

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

प्रियांशु खंडेलवाल बनाम लो.सू.अधि. तहसीलदार भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 53 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट प्रियांशु खंडेलवाल निवासी हेड पोस्ट ऑफिस के पीछे, आदर्श नगर, भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060499527143677 से लोक सूचना अधिकारी **तहसीलदार भरतपुर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति **तहसीलदार भरतपुर** को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर भरतपुर	768 5/9/25 [illegible]
19/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया। जाकर शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 53 / 2025

प्रियांशु खंडेलवाल निवासी हेड पोस्ट ऑफिस के पीछे, आर्दश नगर, भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.09.2025**

श्री प्रियांशु खंडेलवाल निवासी हेड पोस्ट ऑफिस के पीछे, आर्दश नगर भरतपुर की एक अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन अपील संख्या 060499527143677 लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर के खिलाफ इस आश्य की प्राप्त हुई है, कि प्रार्थी/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी, द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/2025/768 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर का जबाब पत्र कमाक/एल. आर/2025/6875 दिनांक 12.9.2025 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र तारीख 27.5.25 में प्रार्थी ने निम्न बिन्दूओं पर सूचना चाही है –

1–स्व. श्री जगदीश प्रसाद के नाम पर गांव जघीना तहसील भरतपुर में कितनी भूमि दर्ज थी ?
2–उस भूमि का खसरा नंबर खाता नंबर, रकबा, तथा प्रकार कृर्षि/गैर कृषि क्या है?
3–वह भूमि वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज है
4–यदि भूमि का नामांतकरण हुआ है तो
नामांतकरण की तारीख क्या थी ?
किस आधार पर नामातकरण किया गया ?
नामांतरण की प्रति प्रदान की जाए
5–यदि कोई वसीयत/उत्तराधिकार के आधार पर स्थानांतरण हुआ है तो उसकी भी जानकारी प्रदन की जाए।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.......2

अपील में प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त चाही गई सूचना उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, सूचना उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 12.9.25 का अवलोकन किया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि इस कार्यालय के पत्र कंमाक एलआर/2025/5241 दिनांक 11.7.25 से आवेदक को लिखित में प्रत्युत्तर भिजवाया जा चुका है। जबाब के साथ प्राप्त फोटो प्रति पत्र कंमाक एलआर/2025/5241 दिनांक 11.7.25 जो कि तहसीलदार ने अपीलान्ट/प्रार्थी को लिखा गया है के अवलोकन से जाहिर है कि चाही गई सूचना के बाबत प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है।

प्रार्थी ने सूचना के बाबत कोई खाता संख्या, खसरा नम्बर, दिनांक, नामान्तकरण संख्या दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें प्रश्नात्मक एवं सृजनात्मक हैं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्रादेश कमांक प.3(22) प्र.सु/सूअप्र/06 दिनांक 2-2-2009 के पेरा-3 में :- में स्पष्ट है -

> "..........नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण,नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जासकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है........।"

प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक सृजनात्मक हैं जो सूचना के अधिकार अधिनियम की परिभाषा में नहीं आती है इस बाबत लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू. अभि.) तहसील-भरतपुर (जिला भरतपुर)

E-mail : tdrbha-bha@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एलआर/2025/ 6875

दिनांक : 12-09-2025

श्रीमान रीडर
जिला कलक्टर
भरतपुर

विषय:- अपील संख्या 53/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 प्रियांशु खंडेलवाल निवासी-हेड पोस्ट ऑफिस के पीछे आदर्श-नगर, भरतपुर बनाम तहसीलदार-भरतपुर।

प्रसंग:- श्रीमानजी का पत्रांक-कोर्ट/25/768 दिनांक 4-9-2025

आगामी तारीख पेशी - 19-09-2025

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री प्रियांशु खंडेलवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी हैड पोस्ट ऑफिस के पीछे, आदर्शनगर, भरतपुर (राज.)-321001 द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में चाही गई सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/LR/2025/5241 दिनांक 11-07-2025 से जरिये डाक नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई थी जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
तहसील-भरतपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू. अभि.) तहसील-भरतपुर (जिला भरतपुर)

E-mail : tdrbha-bha@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एलआर/2025/5241 दिनांक : 11-07-2025

श्री प्रियांशु खंडेलवाल
S/o स्व० श्री जगदीशप्रसाद, निवासी -
-'नगीना वाले', हैड पोस्ट ऑफिस के पीछे
आदर्शनगर, भरतपुर (राज०)-321001
Mb. No. - 9718677086

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंग :- online आवेदन दिनांक 27-05-2025

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा RTI से सम्बन्धित सूचना हेतु online आवेदन किया है जिसमें आप द्वारा अपने पिता स्व० श्री जगदीश प्रसाद की भूमि के सम्बन्ध में कितनी भूमि थी? खसरा नं. क्या हैं?, किसके नाम है?, नामान्तरण हुआ या नहीं? आदि की जानकारी चाही गई है जो कि प्रश्नात्मक है जबकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र दिनांक 02-02-2009 के बिन्दु सं 03 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।"

पत्र सूचनार्थ प्रेषित है।

तहसीलदार
तहसील-भरतपुर